न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अन्तर सिंह नेहरा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 15/2019

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

जेम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि. 102, कंचन अपार्टमेंट, तिलक नगर, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री थावरचन्द पिता श्री मेहजी पारगी ग्राम तेलिया दईडा ग्रा.पं.करजी तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा।
2. श्रीमती चम्पा पारगी पत्नि थावरचन्द पारगी ग्राम तेलिया दईडा ग्रा.पं.करजी तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा।
3. श्री सोमाजी पिता जोटियाजी पटेल निवासी साटगोला लालावाडा, पोस्ट लिलवानी तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राकेश पाटीदार
–अभिभाषक (प्रार्थी/अपीलार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :–06–01–2020

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि., 102, कंचन अपार्टमेंट, तिलक नगर, जयपुर–302004 ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1–श्री थावर चन्द पिता श्री मेहजी पारगी, ग्राम तेलिया दईड़ा, ग्रा.पं. करजी, तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा। (ऋणी/बंधककर्ता) 2–श्रीमती चम्पा पारगी पत्नी श्री थावर चन्द पारगी, ग्राम तेलिया दईड़ा, ग्रा.पं. करजी, तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा। (सहऋणी) एवं 3 श्री सोमाजी पिता श्री जोटियाजी पटेल निवासी साटगोला, लालावाड़ा, पोस्ट लिलवानी, तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (गारन्टर/अप्रार्थी) के खाते दिनांक 29–05–2019 तक कुल बकाया ऋण राशि मय ब्याज 6,24,075/- रू. (छः लाख चौबीस हजार पचहत्तर रूपया) एवं तत्पश्चात ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति श्री थावरचन्द की आवासीय सम्पत्ति जो ग्राम तेलिया, दईडा, ग्राम पंचायत करजी, पंचायत समिति बागीदौरा व जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, माप लगभग 3697 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके उत्तर में थावर चन्द की भूमि, दक्षिण में नाला, पूर्व में बजरंग की भूमि एवं पश्चिम में रोड़ स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

वित्तीय विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 के अनुसार प्रार्थी Non-Banking financial institution Jumbo finvest

(india) Ltd. को अधिनियम की धारा 2(1) (m) (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी को वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.06.2019 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित सामयिक बंधक (Equitable Mortgage) उप पंजीयक बागीदौरा से पंजीकृत है।

सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि., 102, कंचन अपार्टमेंट, तिलक नगर, जयपुर–302004 (राज.) को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 06–01–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

6/1/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.01.08 17:37:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: